

भारत और अमेरिका में निजता के अधिकार का तुलनात्मक

अध्ययन:-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के विशेष संदर्भ में

डॉ. अभिषेक यादव, पीएच.डी, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर

विश्वविद्यालय, गोरखपुर

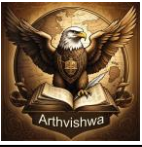
मयंक सिंह, शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

सत्यपाल यादव, शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

परिचय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि “किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा”। अनुच्छेद 21 को पढ़ने के बाद, यह व्याख्या की गई है कि ‘जीवन’ शब्द में जीवन के वे सभी पहलू शामिल हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन को सार्थक, पूर्ण और जीने योग्य बनाते हैं। निजता के अधिकार के बिना जीवन का अधिकार पूरा नहीं होता। प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन के हर हिस्से पर आक्रमण किया है चाहे वह आक्रमण वांछित हो या नहीं, हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि हम जो कहते हैं वह किसी तीसरे पक्ष द्वारा सुना गया है या नहीं, चाहे वह वांछित हो या नहीं। हमारे मोबाइल में हमारी बहुत सारी जानकारी होती है और मोबाइल में कोई भी ऐप डाउनलोड करते समय हम अपने मोबाइल की सारी जानकारी उस एप्लिकेशन बनाने वाली कंपनी को साझा करने की सहमति देते हैं। आप सोशल मीडिया पर जो कुछ भी साझा करते हैं, दुनिया को आपके समझने से पहले ही पता चल जाता है।

भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार शामिल है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। ‘गोपनीयता’ शब्द एक गतिशील अवधारणा है और यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 21 का दायरा बहुआयामी है। टोर्ट्स, आपराधिक कानून और संपत्ति कानून भी गोपनीयता के अधिकार को मान्यता देते हैं। गोपनीयता एक ऐसी चीज है जो व्यक्तिगत गोपनीयता से संबंधित है और जिसे 2017 में के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ जैसे ऐतिहासिक मामले के पारित होने से पहले संरक्षित करने की आवश्यकता थी क्योंकि इसे पहले भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं माना जाता था। हालाँकि, हमारी भारतीय न्यायपालिका ने वर्तमान में गोपनीयता के संबंध में एक विशिष्ट सीमा तय की है और इसका परिणाम यह है कि गोपनीयता का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो अनुच्छेद 21 के तहत अंतर्निहित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गोपनीयता के अधिकार को अक्सर राज्य के अनिवार्य हितों के साथ



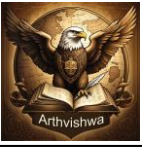
संतुलित किया जाना चाहिए, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गोपनीयता के अधिकार को चौथे संशोधन, चौदहवें संशोधन और नौवें संशोधन सहित विभिन्न अधिकारों से बनाया गया है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 1886 में बॉयड बनाम यूनाइटेड स्टेट्स में व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी संपत्ति के अक्षम्य अधिकार का उल्लंघन करते हुए अवैध तलाशी और जब्ती को बरकरार रखा।

संयुक्त राज्य अमेरिका में निजता के अधिकार का अर्थ अक्सर व्यक्तिगत स्वायत्तता का अधिकार या यह चुनने का अधिकार होता है कि कुछ निश्चित कार्य करने हैं या नहीं या कुछ निश्चित अनुभव प्राप्त करना है या नहीं। यू.एस. संविधान ने अपने विभिन्न संशोधनों के माध्यम से निजता के अधिकार को मान्यता दी है जैसे विश्वासों की निजता की सुरक्षा, सैनिकों के आवास के लिए घर के उपयोग के विरुद्ध निजता की सुरक्षा, अनुचित खोजों के विरुद्ध निजता की सुरक्षा, आत्म-दोष के विरुद्ध सुरक्षा, जो बदले में व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता की रक्षा करती है। निजता के अधिकार का सबसे अधिक बार 14वें संशोधन के उचित प्रक्रिया खंड में उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है: कोई भी राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा या लागू नहीं करेगा जो संयुक्त राज्य के नागरिकों के विशेषाधिकारों या प्रतिरक्षा को कम करेगा; न ही कोई राज्य कानून की उचित प्रक्रिया के बिना किसी

व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित करेगा; न ही अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को कानूनों के समान संरक्षण से वंचित करेगा। प्रौद्योगिकी के विकास ने दुनिया को डिजिटल दुनिया में बदल दिया है और अब यह व्यक्ति की निजता को अपने नियंत्रण में लेने की कगार पर है। जैसे-जैसे कनेक्टिविटी और सूचना की पहुँच बढ़ी है, व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन और सामाजिक जीवन में असमानता का जोखिम भी बढ़ा है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी न केवल सूचना की पहुँच को बदलकर निजता को प्रभावित करती है, बल्कि निजता के मानदंडों को भी बदल देती है। उदाहरण के लिए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स उपयोगकर्ताओं को अधिक जानकारी साझा करने के लिए आमंत्रित करती हैं, जितना वे अन्यथा साझा कर सकते हैं। यह "ओवरशेयरिंग" लोगों द्वारा स्वीकार्य अभ्यास बन जाता है। लेकिन हममें से अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि कोई भी उस जानकारी का दुरुपयोग कर सकता है। इस स्थिति में नागरिकों की निजता के अधिकार की सुरक्षा बहुत आवश्यक है और के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के फैसले के 3 साल बाद भी, न तो संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान किया गया है और न ही नागरिकों की निजता के अधिकार की रक्षा के लिए कोई कानून बनाया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य और लक्ष्य:-

1) भारत और अमेरिका में निजता के अधिकार के विकास का तुलनात्मक अध्ययन



2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार की अवधारणा के बारे में अध्ययन करना

3) अध्ययन करना कि आज की डिजिटल दुनिया और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग में निजता का अधिकार किस तरह खतरे में है

4) भारत में निजता के अधिकार पर जे. पुट्टस्वामी बनाम यूओआई के फैसले के प्रभाव का अध्ययन करना।

5) संयुक्त राज्य अमेरिका में गोपनीयता के अधिकार की सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किए गए कानूनों का अध्ययन करना।

साहित्य की समीक्षा:-

1. डेटा सुरक्षा कानून पर न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट:- सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने 28 जुलाई 2018 को सरकार को "डेटा सुरक्षा ढांचे" पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि नागरिकों के हितों और राज्य की जिम्मेदारियों की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन व्यापार और उद्योग की कीमत पर नहीं। समिति की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 का मसौदा तैयार किया और संसद में पेश किया। इस मसौदा विधेयक ने गोपनीयता डेटा की सुरक्षा के लिए डेटा सुरक्षा ढांचा पेश किया।

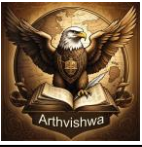
2. डैनियल जे सोलोवे द्वारा सूचना गोपनीयता कानून का संक्षिप्त इतिहास :- यह शोध लेख औपनिवेशिक काल से लेकर वर्तमान तक संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना गोपनीयता कानून का संक्षिप्त इतिहास प्रदान करता है। यह पता लगाता है कि नई तकनीकों के जवाब में

कानून कैसे उभरा और बदला है जिसने व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, प्रसार और उपयोग को बढ़ाया है।

3. अनुच्छेद 21: भारतीय संविधान में जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान की संहिता हार्डकर - 1 जनवरी 2020 एस शिवकुमार और जी कामेश्वरी द्वारा, जेनेरिक प्रकाशन (जनवरी 2020) :-

लेखक की मांग है कि किसी भी लोकतंत्र में, देश के नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए कानून बनाकर जीवन की सुरक्षा के लिए उचित उपाय अपनाना सरकार का कर्तव्य है। इस प्रकार भारत के संविधान का अनुच्छेद - 21 सर्वोच्च महत्व के मूल्य को दर्शाता है। नकारात्मक भाषा में लिखे गए इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी को भी उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। 1950 में ए. के. गोपालन के लेख की स्थिर, यांत्रिक और विशुद्ध रूप से शाब्दिक व्याख्या से, जिसे 'कानूनी प्रत्यक्षवाद का उच्चतम स्तर' कहा गया था, जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के प्रति सर्वोच्च न्यायालय के रवैये में विशेष रूप से 1978 में मेनका गांधी के बाद बदलाव आया है। कई न्यायिक घोषणाओं के बाद अनुच्छेद 21 को मौलिक अधिकारों का मूल माना जाता है, यह लोगों के लिए कई ठोस अधिकारों का स्रोत बन गया है। अनुच्छेद 21 पिछले 70 वर्षों में इसी नाम के अनुच्छेद के विभिन्न पहलुओं के विकास की विस्तृत चर्चा है।

4. भारत में निजता का अधिकार: अवधारणा और विकास - रविंदर कुमार और गौरव गोयल, लाइटनिंग सोर्स पब्लिकेशन (जनवरी 2016) :- गौरव गोयल और रविंदर कुमार का तर्क है कि भारत में निजता कानून

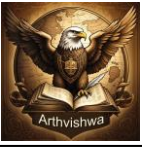


कमज़ोर हैं क्योंकि राजनेता इसे बचाने के लिए कानून पारित करने में विफल रहे हैं। पश्चिम में भी, यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है कि निजता के मामले में क्या संरक्षित है। वे आगे तर्क देते हैं कि किसी का निजी क्षेत्र व्यक्तिपरक होता है और किसी की संस्कृति, पर्यावरण और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, मीडिया लगातार प्रसिद्ध और यहाँ तक कि कम प्रसिद्ध व्यक्तियों के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। भारत में निजता की जाँच करते हुए, लेखक इस बात पर प्रकाश डालते हैं: - क्यों कुछ वर्ग के लोग दूसरों की तुलना में अधिक निजता का आनंद लेते हैं; - कैसे तकनीक निजता के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल रही है; और - क्यों लोग दूसरों के निजी स्थान में झाँकने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। हालाँकि गोपनीयता एक सरल अवधारणा की तरह लग सकती है, लेकिन अगर आप भारत में इसे संरक्षित करने का कोई मौका चाहते हैं तो इसके ऐतिहासिक संदर्भ, इसे नियंत्रित करने वाले कानूनों और यह कैसे बदलता रहता है, इसे समझना महत्वपूर्ण है। भारत के दोनों कानूनी विद्वान भारत में गोपनीयता की जाँच करते हैं, यह पश्चिम की गोपनीयता से कैसे अलग है, और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है, इस पुस्तक में समझाया गया है।

5. भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ में गोपनीयता और डेटा संरक्षण कानून, जाविद अहमद डार द्वारा, वालनट प्रकाशन (मार्च 2019):- लेखक व्यवसाय के वैश्विक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए डेटा संरक्षण

कानूनों की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, इसलिए, कई अधिकार क्षेत्र शामिल हैं क्योंकि पेशेवरों को अक्सर विभिन्न क्षेत्रों के कानूनों को जानना आवश्यक होता है। यह विषय पर समेकित जानकारी प्रस्तुत करने का एक प्रयास है और सामग्री को संक्षिप्त और बिंदु तक रखा गया है ताकि पाठकों को बहुत अधिक समय खर्च किए बिना ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिल सके। यह पुस्तक भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ में गोपनीयता और डेटा संरक्षण कानूनों के अधिकार के विकास को समझने में मदद करेगी।

6. गोपनीयता का अधिकार पेपरबैक - कैरोलीन कैनेडी और एलेन एल्डरमैन द्वारा, विंटेज प्रकाशन (फरवरी 1997):- इस पुस्तक में, लेखक एक कहानी सुनाता है - पुलिस एक महिला की तलाशी लेती है जिसे मामूली यातायात उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया है? क्या कोई पत्रिका आपकी अनुमति के बिना आपकी शर्मनाक तस्वीर प्रकाशित कर सकती है? क्या आपके बॉस को आपका ईमेल पढ़ने का अधिकार है? क्या कोई कंपनी अपने कर्मचारियों की नौकरी के बाद की जीवनशैली पर नज़र रख सकती है - और उन लोगों को निकाल सकती है जो शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं या समान लिंग के साथी के साथ रहते हैं? हालाँकि गोपनीयता शब्द संविधान में नहीं है, हममें से अधिकांश का मानना है कि हमें अकेले रहने का अविभाज्य अधिकार है। फिर भी गर्भपात के युद्ध के मैदान से लेकर सूचना राजमार्ग तक के क्षेत्रों में गोपनीयता घेरे में है। इस आंख खोलने वाली और कभी-कभी



रोंगटे खड़े कर देने वाली किताब में, एल्डरमैन और कैनेडी ने हाल के सैकड़ों मामलों का सर्वेक्षण किया है, जिसमें आम नागरिकों को सरकार, व्यवसायों, समाचार मीडिया और अपने पड़ोसियों के हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा है। एक साथ चौंकाने वाला और शिक्षाप्रद, अद्यतन और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समृद्ध, द राइट टू प्राइवेट हमारे समय के सबसे अधिक चार्ज किए गए मुद्दों में से एक के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शिका है।

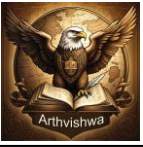
7. गोपनीयता और डेटा सुरक्षा कानून, विलियम मैकगेवरन द्वारा, फाउंडेशन प्रेस प्रकाशन (जून 2016): इस पुस्तक में लेखक कानून के एक गतिशील और तेजी से बढ़ते क्षेत्र का परिचय देता है जिसे पढ़ाना भी मजेदार है। पारंपरिक विषयों जैसे कि टोर्ट या चौथे संशोधन से परे, इसका कवरेज FTC प्रवर्तन, चिकित्सा गोपनीयता और पैट्रियट एक्ट जैसे वैधानिक और नियामक व्यवस्थाओं तक फैला हुआ है। यह पुस्तक वैश्विक गोपनीयता कानून और डेटा सुरक्षा पर महत्वपूर्ण ध्यान देती है। पारंपरिक केस अंशों को विनियामक सामग्रियों, केस स्टडीज और काल्पनिक समस्याओं के साथ मिलाकर, गोपनीयता और डेटा संरक्षण कानून छात्रों को किसी भी प्रकार के संगठन में व्यक्तिगत जानकारी के प्रबंधन की वास्तविक दुनिया की कानूनी चुनौतियों के लिए तैयार करता है - जो हर ग्राहक की बढ़ती जरूरत है।

8. शुभम मोंगिया का लेख "भारत में निजता के अधिकार का कानूनी विश्लेषण", 13 मई, 2019: इस लेख में लेखक ने कहा है कि, भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत निजता के

अधिकार को शामिल करता है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। 'गोपनीयता' शब्द पर जोर देते हुए, यह एक गतिशील अवधारणा है जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 21 का दायरा बहुआयामी है। अपकृत्य कानून, आपराधिक कानून और संपत्ति कानून भी निजता के अधिकार को मान्यता देते हैं। निजता एक ऐसी चीज है जो व्यक्तिगत निजता से संबंधित है और जिसे 2017 में के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ जैसे ऐतिहासिक मामले के पारित होने से पहले संरक्षित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि पहले इसे भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं माना जाता था। हालाँकि, हमारी भारतीय न्यायपालिका ने वर्तमान में गोपनीयता के संबंध में एक विशिष्ट सीमा तय की है और इसका नतीजा यह है कि गोपनीयता का अधिकार, इसे अब एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, जो अनुच्छेद 21 के तहत अंतर्निहित है।

9. आस्था उम्मत द्वारा लेख, गोपनीयता एक मौलिक अधिकार के रूप में, 5 अक्टूबर, 2020:-

उक्त अनुच्छेद में प्रावधान है कि प्राचीन भारत में गोपनीयता के अधिकार की अवधारणा को हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथ में खोजा जा सकता है। हितोपदेश में उन कुछ मामलों को शामिल किया गया है जैसे पारिवारिक मामले, पूजा और सेक्स को प्रकटीकरण से बचाया जाना चाहिए। प्राचीन काल में गोपनीयता 'सकारात्मक नैतिकता' से संबंधित थी। लेकिन प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यह अवधारणा अस्पष्ट थी। आधुनिक भारत में गोपनीयता के अधिकार के मुद्दे पर पहली बार संविधान सभा की बहस में चर्चा की गई थी,

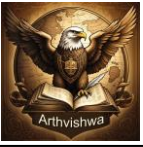


लेकिन इसे भारत के संविधान में शामिल नहीं किया गया था। संविधान के तहत मौलिक अधिकार और सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में निजता के अधिकार के मुद्दे पर 1960 के दशक से विचार किया जा रहा है।

10.थीसिस चटर्जी, संगीता द्वारा, थीसिस का शीर्षक गोपनीयता का अधिकार और इसके वर्तमान रुझान यूएसए यूके और भारत की कानूनी प्रणालियों के तहत एक तुलनात्मक अध्ययन, वर्ष 2017, विश्वविद्यालय का नाम: उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय - इस थीसिस में शोधकर्ता ने कहा कि, गोपनीयता भारत में कभी भी विदेशी नहीं थी; बल्कि यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की गहरी जड़ें वाली प्रथा में अंतर्निहित थी। आधुनिक काल में यू.एस.ए. में गोपनीयता के अधिकार का विकास वॉरेन-ब्रैंडिस लेख और यू.एस. संविधान के चौथे संशोधन के तहत खोज और जब्ती मामलों पर आधारित है, जिसका अंतिम परिणाम गोपनीयता अधिनियम, 1974 है। यू.के. में गोपनीयता का कोई कानून नहीं था; इसके बजाय, विश्वास के उल्लंघन का कानून था। विभिन्न कानूनी विकासों की मदद से, 1972 में यंगर कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसका अंतिम परिणाम डेटा संरक्षण अधिनियम, 1998 है। यद्यपि आधुनिक काल में गोपनीयता की सुरक्षा के लिए भारत यू.के. और यू.एस.ए. से बहुत पीछे है, लेकिन यह विभिन्न विधायी और न्यायिक विकासों से भी समृद्ध है, जिसने अंततः गोपनीयता के अधिकार विधेयक, 2011 को जन्म दिया है, जिसे अब गोपनीयता विधेयक, 2014 के रूप में जाना जाता है। गोपनीयता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत एक महत्वपूर्ण अधिकार है

और मानवाधिकार कानून का एक अभिन्न अंग भी है जो समकालीन सामाजिक परिदृश्य में सभी के लिए चिंता का विषय है। गोपनीयता का मतलब केवल एकांत जीवन जीना नहीं है, बल्कि विशेष रूप से यह किसी के निजी जीवन में अनधिकृत और अनुचित हस्तक्षेप से स्वतंत्रता को दर्शाता है।

11.प्रशांत एस देसाई द्वारा थीसिस, थीसिस का शीर्षक सूचना प्रौद्योगिकी के युग में गोपनीयता के अधिकार का कानूनी संरक्षण एक समीक्षा, वर्ष 31/10/2013, विश्वविद्यालय का नाम कर्नाटक विश्वविद्यालय। इस थीसिस में शोधकर्ता ने गोपनीयता के अधिकार के कानूनी संरक्षण के महत्व और आवश्यकता को विस्तार से बताया और कहा कि 'गोपनीयता' की मान्यता इतिहास और धर्म में गहराई से निहित है। कई धार्मिक शास्त्र, ग्रंथ और शास्त्रीय लेख गोपनीयता के महत्व को पहचानते हैं। कुरान¹ और पैगंबर मोहम्मद की बातों में गोपनीयता की मान्यता है। बाइबिल में गोपनीयता के कई संदर्भ हैं और यहूदी कानून ने लंबे समय से 'देखे जाने से स्वतंत्रता' की अवधारणा को मान्यता दी है। पचास साल पहले, अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल, जिनके उपन्यासों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नुकसान का डर हावी था, ने एक अधिनायकवादी राज्य की कल्पना की थी जहाँ उन्नत तकनीकों का उपयोग लोगों की निगरानी के लिए किया जाएगा। 'बिग ब्रदर' हम पर नज़र रखेगा और गोपनीयता अतीत की बात हो जाएगी। सूचना और संचार क्रांति (ICR) के इस युग में ऑरवेल की आशंकाएँ सच साबित हुई हैं। गोपनीयता एक मौलिक मानव अधिकार है जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणापत्र, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा और



कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संधियों में मान्यता प्राप्त है। गोपनीयता मानवीय गरिमा और संघ की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अन्य प्रमुख मूल्यों का आधार है। यह आधुनिक युग के सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दों में से एक बन गया है।

शोध पद्धति:- सैद्धांतिक अनुसंधान: डेटा पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिपोर्टों, थीसिस, शोध प्रबंधों, लेखों, पत्रिकाओं, शोध पत्रों, सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों, यूएसए संविधान के अधिकारों के विधेयक, यूएसए के संघीय न्यायालय के विभिन्न निर्णयों, गोपनीयता के अधिकार की सुरक्षा के लिए यूएसए के विभिन्न विधानों, यूरोपीय संघ के जीडीपीआर के माध्यम से एकत्र किया जाता है।

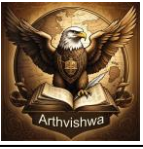
शोध पत्र का महत्व:-

निजता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के आयामों को व्यापक बनाने के बाद अस्तित्व में आया है। संविधान विशेष रूप से निजता का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। हालाँकि, इस तरह के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई है। इस शोध में हम अनुच्छेद 21 के एक नए आयाम पर चर्चा करेंगे जो कि निजता का अधिकार है और इसका अमेरिकी संविधान के साथ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। गोपनीयता हमें सीमाएँ बनाने और अपने जीवन में अनुचित हस्तक्षेप से खुद को बचाने में सक्षम बनाती है, जिससे हम यह तय कर पाते हैं कि हम कौन हैं और हम अपने आसपास की दुनिया के साथ कैसे बातचीत करना चाहते हैं।

निजता का अधिकार हमें राज्यों द्वारा शक्ति के मनमाने और अनुचित उपयोग से बचाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में निजता के अधिकार का विकास:-

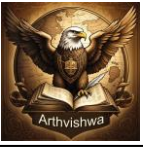
मानव सभ्यता के इतिहास में आधुनिक काल के दौरान बहुत पुराने दिनों से ही संयुक्त राज्य अमेरिका में निजता के अधिकार के निशान पाए जाते हैं। यद्यपि यह अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य यूरोपीय या एशियाई देशों की तुलना में व्यापक रूप से विकसित हुआ है, लेकिन इस अधिकार का विधायी विकास वहाँ बड़े पैमाने पर नहीं पाया गया है, बल्कि यह मुख्य रूप से न्यायिक विकास पर आधारित है। वास्तव में, सामान्य कानून ने कभी भी निजता के अधिकार को मान्यता नहीं दी है। चूंकि अमेरिकी कानूनी प्रणाली सामान्य कानून प्रणाली पर आधारित थी, इसलिए, किसी भी विधायी अधिनियमन के लिए इस अधिकार को शुरू से ही उपेक्षित किया गया था। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका की अदालतों ने भी 20वीं सदी की शुरुआत तक इस कारण से इस अधिकार को संरक्षण के लिए नहीं माना है। 20वीं सदी की शुरुआत में ही यह अमेरिका में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था, क्योंकि तब से लेकर अब तक निजता के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में विचार करने, इसकी प्रकृति, सीमा निर्धारित करने और इसके संरक्षण के लिए उपाय सुझाने के लिए अमेरिकी अदालतों में असंख्य मामले आए हैं। अधिक विशेष रूप से, गोपनीयता की चिंता को संयुक्त राज्य अमेरिका में, आधुनिक काल में, दिसंबर, 1890 में हार्वर्ड लॉ रिव्यू में सैमुअल वॉरेन और लुइस ब्रैंडिस द्वारा “गोपनीयता का अधिकार” शीर्षक से प्रसिद्ध



लेख के प्रकाशन के साथ समझा गया है। 188 इसे आधुनिक काल में गोपनीयता की उत्पत्ति कहा जाता है, क्योंकि इसने आधुनिक काल में गोपनीयता के अधिकार की अत्यधिक तात्कालिकता को निर्दिष्ट किया है और आधुनिक काल में गोपनीयता के आक्रमण की एक गंभीर तकनीक पर प्रकाश डाला है, जिसे 'खोजी पत्रकारिता' कहा जाता है। इसने निर्धारित किया है कि, चाहे जो भी कारण हो, लेकिन किसी भी तरह से 'अटूट मानव व्यक्तित्व' या मानव के अंतिम व्यक्तित्व को मानवीय सम्मान के साथ जीने के अधिकार के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है, जिसका संरक्षण का अर्थ है, व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकार का संरक्षण। वॉरेन और ब्रैंडिस द्वारा उठाए गए गोपनीयता के मुद्दों को अमेरिका में अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है और धीरे-धीरे न्यायाधीशों ने गोपनीयता से संबंधित मामलों में इस अनुच्छेद का उल्लेख करना शुरू कर दिया है। इस तरह, अमेरिका में गोपनीयता के अधिकार के विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई है। इस संबंध में, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि, यद्यपि गोपनीयता के अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है या 'गोपनीयता' शब्द को अमेरिकी संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह पहले संशोधन, चौथे संशोधन और अधिकारों के विधेयक के प्रावधानों में निहित रूप से संरक्षित है।

अमेरिकी संविधान में इस अधिकार का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अधिकार के संरक्षण के लिए निर्णय देना एक समस्यापूर्ण मामला था। वॉरेन-ब्रैंडिस के लेख का प्रकाशन इस समस्या का समाधान

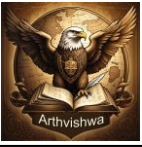
बन गया है और इस प्रकार, न्यायाधीशों ने तब से अपने निर्णयों में इस लेख का उल्लेख करना शुरू कर दिया है। वॉरेन-ब्रैंडिस लेख का पहला संदर्भ शूयलर बनाम कर्टिस, 15 एन.वाई. सप. 787 (1891) मामले में पाया गया है। इस मामले में, न्यूयॉर्क के सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता के उल्लंघन के मुद्दे पर विचार किया है, जिसे इस मामले से पहले अमेरिका में कभी नहीं उठाया गया था। इस मामले में, क्या निजी नागरिकों को स्थानीय रूप से प्रमुख महिला की मूर्ति उसके परिवार की सहमति के बिना स्थापित करने का अधिकार होगा और क्या यह गोपनीयता के उल्लंघन का मामला होगा, यह विवाद का विषय रहा है। वॉरेन-ब्रैंडिस लेख और प्रिंस अल्बर्ट बनाम स्ट्रेंज, 1848 के प्रसिद्ध पुराने अंग्रेजी मामले के संदर्भ में, यह अदालत द्वारा माना गया है कि, यह महिला के परिवार की अनुमति के बिना गोपनीयता के उल्लंघन का मामला होगा। वॉरेन-ब्रैंडिस के लेख के प्रकाश में यू.एस.ए. में अगला महत्वपूर्ण मामला रॉबर्सन बनाम रोचेस्टर फोल्डिंग बॉक्स कंपनी, 171 एनवाई 538 (1902) मामला रहा है। यह एक न्यूयॉर्क अपीलरीय मामला रहा है, जहां गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन कानून का सवाल रहा है। मुख्य न्यायाधीश पार्कर ने वॉरेन-ब्रैंडिस के लेख में पहली बार इस अधिकार के दावे का उल्लेख करके इस मामले में गोपनीयता के अधिकार को मान्यता दी है। अगला मामला तीन साल बाद आया है, जिसका फैसला जॉर्जिया कोर्ट ने पावेलिस बनाम न्यू इंग्लैंड लाइफ इंश्योरेंस, 122 गा. 190, 194 (1905) शीर्षक से किया है। इस मामले में गोपनीयता के अधिकार के अस्तित्व के बारे में सवाल उठाया गया है। इस मामले में, न्यायाधीश कॉब ने गोपनीयता के अधिकार के



विकास के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की है और फैसला किया है कि, यह अधिकार प्राकृतिक कानून से प्राप्त हुआ है। तदनुसार, इस मामले में प्राकृतिक कानून को गोपनीयता के अधिकार के स्रोत के रूप में निर्धारित किया गया है। इस तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका में गोपनीयता के अधिकार के विकास की प्रक्रिया जारी रही है। अगला महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मामला जिसने इस प्रक्रिया को गति देने में मदद की है, वह है ओल्मस्टेड बनाम यूनाइटेड स्टेट्स (1928) 277 यू.एस. 438। इस मामले का निर्णय न्यायमूर्ति ब्रैंडिस के विचारों से समृद्ध हुआ है, वॉरेन-ब्रैंडिस के लेख के प्रकाशन के लगभग 40 साल बाद। इस मामले में, अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ छिपकर सुनने, विशेष रूप से टेलीफोन टैपिंग के जरिए प्राप्त साक्ष्य की स्वीकार्यता के बारे में मुद्दा उठाया गया है। जस्टिस ब्रैंडिस ने माना है कि, इस तरह के सबूत संबंधित व्यक्ति की गोपनीयता के उल्लंघन के आधार पर अस्वीकार्य होंगे। इस फैसले में, जस्टिस ब्रैंडिस ने उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों के जरिए नागरिकों के जीवन पर सख्त सरकारी निगरानी के नुकसानों के बारे में चर्चा की है। अंत में, उन्होंने माना है कि, ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी की खोज, जो मानव जीवन के हर क्षेत्र को निगरानी में रख सकती है, अमेरिकी नागरिकों के गोपनीयता के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अप्रत्याशित है और सख्त सरकारी निगरानी के खिलाफ सुरक्षा के रूप में, उन्होंने गोपनीयता का अधिकार या अकेले रहने का अधिकार निर्धारित किया है ओल्मस्टेड मामले में न्यायमूर्ति ब्रैंडिस का दृष्टिकोण समय बीतने के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका

में अच्छी तरह से स्वीकार किया गया कानून बन गया है, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में गोपनीयता के अधिकार के विकास की प्रक्रिया में एक नया आयाम बनाया है। हालांकि ओल्मस्टेड मामले से पहले विभिन्न अन्य मामलों ने गोपनीयता के अधिकार को मान्यता दी है, लेकिन वास्तव में यह पहला मामला है जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में गोपनीयता के अधिकार को मजबूती से स्थापित किया है। इस अर्थ में, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में गोपनीयता के विकास के युग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में चिह्नित है।

यह 40 साल बाद न्यायमूर्ति ब्रैंडिस द्वारा अपने दृष्टिकोण को फिर से स्वीकार करने के कारण भी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अगला महत्वपूर्ण विकास ओसबोर्न बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका (1966) 385 यू.एस. 323 मामले में हुआ है। इस मामले में, न्यायमूर्ति डगलस ने ओल्मस्टेड मामले में न्यायमूर्ति ब्रैंडिस के अनुरूप अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस प्रकार, न्यायमूर्ति डगलस ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के व्यापक विकास के युग में निजता के अधिकार के उल्लंघन के बारे में आशंकाओं और चिंताओं को उठाया है, जहां मानव जीवन का कोई भी हिस्सा सरकारी निगरानी से मुक्त नहीं होगा। इस युग में, बिना किसी प्रभावी न्यायिक या विधायी नियंत्रण के छिपकर सुनने, जासूसी करने और वायरटैपिंग के माध्यम से बड़े पैमाने पर सरकारी निगरानी संभव होगी। नतीजतन, व्यक्तियों के शयनकक्ष भी सीसीटीवी की निगरानी में हो सकते हैं और

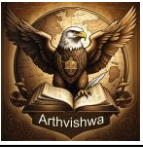


कोई भी डेटा माउस-क्लिक में उपलब्ध हो सकता है, जिससे एक ऐसा समाज बन जाएगा, जहां व्यक्तिगत जीवन के सभी गुप्त क्षेत्रों में सरकारी घुसपैठ संभव होगी। अगर ऐसी स्थिति होती है, तो यह निश्चित रूप से व्यक्तिगत निजता के गंभीर उल्लंघन का मामला होगा।

इसलिए, अधिनायकवादी राज्य की अवधारणा फिर से उभरेगी, जिसकी आधुनिक समय में कभी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए और इसलिए, गोपनीयता के अधिकार की गारंटी समय की मांग है। इस प्रकार, न्यायमूर्ति डगलस ने आधुनिक अमेरिकी जीवन में अनियंत्रित सरकारी निगरानी पर जाँच के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकार के अस्तित्व का समर्थन किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गोपनीयता के अधिकार के विकास की प्रक्रिया धीरे-धीरे चार महत्वपूर्ण अधिनियमों से समृद्ध हुई है, जैसे सर्वव्यापी अपराध नियंत्रण और सुरक्षित सड़कें अधिनियम, 1968, निष्पक्ष क्रेडिट रिपोर्टिंग अधिनियम, 1970, अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1973 और गोपनीयता अधिनियम, 1974। ये सभी कानून संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून द्वारा गोपनीयता की मान्यता के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इन सभी में, सबसे महत्वपूर्ण कानून गोपनीयता अधिनियम, 1974 है, जिसने स्पष्ट विधायी प्रावधानों द्वारा गोपनीयता को औपचारिक संरक्षण दिया है। इन कानूनों को 23 मई, 1968 को मिसौरी के सीनेटर एडवर्ड वी. लॉन्ग द्वारा निजता के अधिकार को मान्यता देने के लिए एक विधेयक में

प्रस्तावित संशोधन द्वारा एक बहस द्वारा भी जोड़ा गया है, जिसमें लॉस एंजिल्स जैसे कार्यकर्ता समूहों की स्थापना करके निजी जीवन पर पुलिस निगरानी के खिलाफ अभियान चलाया गया है। पुलिस दमन के नागरिक आयोग, सरकारी निगरानी और नागरिक अधिकारों पर कार्यक्रम, फिलाडेल्फिया के सरकारी जासूसी के खिलाफ गठबंधन और सरकारी जासूसी को रोकने के अभियान का राष्ट्रीय आयोजन सम्मेलन। इस संबंध में, अत्यधिक पुलिस निगरानी द्वारा गोपनीयता के उल्लंघन की रोकथाम के लिए विशेष सरकारी निकाय भी स्थापित किए गए हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग द्वारा स्थापित स्वचालित डेटा सिस्टम पर सलाहकार समिति। इन सभी पहलों का परिणाम अंततः यू.एस. संविधान में संशोधन के रूप में सामने आया, जिसके तहत गोपनीयता के अधिकार की स्पष्ट गारंटी दी गई, जो 1979 में शुरू हुआ और 1987 में समाप्त हुआ। एक और महत्वपूर्ण विकास 1973 से 1976 तक अमेरिकन बार एसोसिएशन जर्नल द्वारा उठाई गई चिंता रही है। विकास का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र अनुचित खोज और जब्ती से यू.एस. नागरिकों के जीवन की सुरक्षा रहा है। इसलिए, यू.एस.ए. में गोपनीयता का विकास हमेशा गोपनीयता के अभाव से व्यक्तिगत गोपनीयता के सकारात्मक अधिकार की ओर प्रतिमान बदलाव के निर्माण के लिए सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ा है।

भारत में निजता के अधिकार का विकास:-

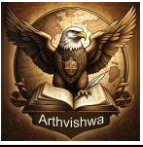


भारत प्राचीन काल से ही एक ऐसा देश रहा है जहाँ हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, न कि प्रतिद्वंद्विता, भारतीय संस्कृति न कि अलगाव इसकी जीवन शैली और मानवीय प्रगति का प्रमुख विषय रहा है। कभी-कभी यह सवाल उठता है कि क्या भारत में सुरक्षा मानवीय संबंधों का मूल्य है। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि यह मान लेना अनुचित है कि सुरक्षा का विचार भारतीय संस्कृति के लिए अपरिचित है। यद्यपि प्राचीन भारतीय संस्कृति में सुरक्षा के एक पक्ष के संबंध में दिशा-निर्देशों का विश्लेषण करते हुए कोई समीक्षा नहीं की गई है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ समाज और धर्म की एक विशाल विविधता है, हम विकास और सुरक्षा के विचार को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, जैसे हिंदू काल और मुस्लिम कानून में सुरक्षा का विचार और अंग्रेजी काल से लेकर वर्तमान काल तक।

संवैधानिक विकास

संवैधानिक विकास एक गतिशील और अक्सर जटिल प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ राष्ट्र के मौलिक कानून का विकास और अनुकूलन शामिल होता है। इसमें संविधान का प्रारूप तैयार करना, संशोधन करना और व्याख्या करना शामिल है, जो समाज द्वारा सामना की जाने वाली बदलती जरूरतों, मूल्यों और चुनौतियों को दर्शाता है। यह प्रक्रिया शासन की रूपरेखा स्थापित करने, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करने और राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान का विकास आम तौर पर एक आधारभूत दस्तावेज़ के प्रारूप तैयार करने या

अपनाने से शुरू होता है जो सरकार के सिद्धांतों, संरचनाओं और शक्तियों को रेखांकित करता है। यह प्रारंभिक चरण ऐतिहासिक संदर्भ, सामाजिक गतिशीलता और राष्ट्र के लोगों के अनुभवों सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकता है। संविधान विभिन्न रूप ले सकते हैं, लिखित से अलिखित, कठोर से लचीले और एकात्मक से संघीय तक। कई मामलों में, संवैधानिक विकास में बदलती परिस्थितियों के अनुरूप संशोधनों या संशोधनों की एक श्रृंखला शामिल होती है। ये परिवर्तन सामाजिक बदलावों, तकनीकी प्रगति या मूल दस्तावेज़ में कमियों को दूर करने की आवश्यकता के कारण हो सकते हैं। संशोधनों को संविधान में उल्लिखित एक औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तावित किया जा सकता है, जैसे कि विधायी निकाय द्वारा अनुमोदन या जनमत संग्रह के माध्यम से। संवैधानिक विकास केवल एक कानूनी या विधायी प्रक्रिया नहीं है; यह अक्सर व्यापक राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को दर्शाता है। संविधान को अपनाना या संशोधित करना राजनीतिक क्रांतियों, युद्धों या महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों का परिणाम हो सकता है। उदाहरण के लिए, उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्र अक्सर अपनी स्वतंत्रता का दावा करने और अपनी विशिष्ट पहचान को प्रतिबिंबित करने वाली शासन संरचनाएँ स्थापित करने के लिए संवैधानिक विकास में संलग्न होते हैं। संविधान सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्तियों के वितरण को परिभाषित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मॉटेस्क्यू जैसे राजनीतिक दार्शनिकों द्वारा व्यक्त शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा ने दुनिया भर में संवैधानिक विकास

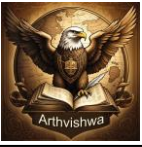


को प्रभावित किया है। एक अच्छी तरह से तैयार किया गया संविधान कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है, जो सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए जाँच और संतुलन की एक प्रणाली प्रदान करता है। न्यायिक व्याख्या संवैधानिक विकास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। न्यायालय संविधान की व्याख्या करने और इसके प्रावधानों से संबंधित विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐतिहासिक न्यायालय के फैसले संवैधानिक सिद्धांतों की समझ और अनुप्रयोग को आकार दे सकते हैं, संवैधानिक कानून के चल रहे विकास में योगदान दे सकते हैं।

गोपनीयता की वर्तमान तकनीकी-

कानूनी अवधारणा समकालीन परिदृश्य में, गोपनीयता की अवधारणा में गहरा परिवर्तन आया है, जो तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति और प्रौद्योगिकी और कानूनी ढांचे के बीच जटिल अंतरसंबंध से प्रभावित है। गोपनीयता की वर्तमान तकनीकी-कानूनी अवधारणा डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र, निगरानी प्रौद्योगिकियों और डिजिटल युग में व्यक्तिगत अधिकारों की विकसित होती समझ की जटिल गतिशीलता द्वारा आकार लेती है। गोपनीयता की वर्तमान तकनीकी-कानूनी अवधारणा में प्रमुख तत्वों में से एक डिजिटल निगरानी की व्यापक प्रकृति है। स्मार्ट डिवाइस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और परस्पर जुड़ी प्रौद्योगिकियों के प्रसार के साथ, व्यक्ति डिजिटल पदचिह्न छोड़ते हैं जिन्हें सावधानीपूर्वक ट्रैक और विश्लेषण किया जा सकता है। सरकारें, निगम और अन्य संस्थाएँ बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह में

संलग्न हैं, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ व्यक्तिगत जानकारी को अक्सर एक वस्तु के रूप में माना जाता है। इस वास्तविकता ने गोपनीयता की पारंपरिक धारणाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि डिजिटल क्षेत्र सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देता है। बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उदय ने गोपनीयता परिदृश्य को और जटिल बना दिया है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और पूर्वानुमान लगाने के लिए विशाल मात्रा में डेटा को संसाधित कर सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए स्वचालित निर्णय लेने की क्षमता के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं। तकनीकी-कानूनी प्रवचन अब एल्गोरिदमिक निर्णय लेने के नैतिक निहितार्थों से जूझ रहा है, व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एआई सिस्टम की तैनाती में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता की आवश्यकता पर जोर देता है। बायोमेट्रिक तकनीकों के आगमन ने गोपनीयता की समकालीन समझ में एक और परत जोड़ दी है। चेहरे की पहचान, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग और अन्य बायोमेट्रिक पहचानकर्ता प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं और निगरानी प्रणालियों के अभिन्न अंग बन गए हैं। जबकि ये प्रौद्योगिकियाँ बेहतर सुरक्षा उपाय प्रदान करती हैं, वे गोपनीयता के लिए महत्वपूर्ण खतरे भी पैदा करती हैं, क्योंकि व्यक्तियों की अद्वितीय शारीरिक या व्यवहार संबंधी विशेषताएं तेजी से संग्रह और विश्लेषण के



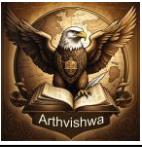
अधीन होती जा रही हैं। बायोमेट्रिक डेटा के आसपास के कानूनी ढांचे अभी भी विकसित हो रहे हैं, और सुरक्षा अनिवार्यताओं और गोपनीयता अधिकारों के बीच संतुलन वर्तमान विमर्श में एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। गोपनीयता की तकनीकी-कानूनी अवधारणा भी इंटरनेट की वैश्विक प्रकृति और सीमा पार डेटा प्रवाह द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से आकार लेती है। अभूतपूर्व पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले डेटा के साथ, अधिकार क्षेत्र, संप्रभुता और गोपनीयता कानूनों के सामंजस्य के प्रश्न कानूनी बहस के केंद्र में आ गए हैं। यूरोपीय संघ में सामान्य डेटा सुरक्षा विनियमन (जीडीपीआर) जैसी पहल डेटा सुरक्षा के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करने का प्रयास करती है, जो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए गोपनीयता विनियमों की अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रयोज्यता पर जोर देती है, चाहे उनका भौगोलिक स्थान कुछ भी हो। इसके अलावा, गोपनीयता की वर्तमान तकनीकी-कानूनी अवधारणा उपयोगकर्ता की सहमति, नियंत्रण और डेटा स्वामित्व पर बढ़ते जोर को दर्शाती है। व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी के प्रबंधन में सक्रिय भागीदार के रूप में देखा जा रहा है, जिससे सूचित सहमति प्राप्त करने के लिए पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल तंत्र की आवश्यकता होती है। कानूनी रूपरेखा व्यक्तियों के अपने डेटा तक पहुँचने, उसे सही करने और हटाने के अधिकारों को पहचानने के लिए अनुकूलित हो रही है, जिससे उन्हें अपनी डिजिटल पहचान पर अधिक नियंत्रण रखने

का अधिकार मिलता है। चूंकि डिजिटल नवाचार गोपनीयता की सीमाओं को फिर से परिभाषित करना जारी रखते हैं, इसलिए निगरानी प्रौद्योगिकियों, बिग डेटा, एआई, बायोमेट्रिक्स और इंटरनेट की वैश्विक प्रकृति द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए कानूनी प्रवचन विकसित होना चाहिए। नवाचार और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि गोपनीयता को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे मजबूत और चल रही तकनीकी प्रगति के सामने अनुकूल बने रहें।

निजता के अधिकार से संबंधित कुछ प्रतिबंध:-

अभी तक देखा गया सुरक्षा का अधिकार पूरी तरह से नहीं है। भारत के संविधान के एक तिहाई हिस्से के रूप में सुरक्षा का अधिकार, इसके परिवर्तनशील वास्तविक कारकों के आधार पर, एक क्षेत्र या दूसरे में निहित हो सकता है, और इस तरह उस विशेष महत्वपूर्ण अधिकार के संचालन के प्रतिबंधों के अधीन होगा। इस तरह सार्वजनिक स्वास्थ्य एक स्पष्ट प्रतिबंध होगा, इसलिए विभिन्न मौलिक अवसरों की अपेक्षाएँ होंगी, जहाँ सुरक्षा का अधिकार उत्पन्न होगा। सार्वजनिक हित वाला हिस्सा एक और दृष्टिकोण होगा। 2016 के यूरोपीय संघ के दिशानिर्देश पर जाना महत्वपूर्ण होगा। सुरक्षा के अधिकार के प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों में वास्तविक हो सकते हैं, आनुपातिकता के मानक के अधीन।

1. अन्य प्रमुख सम्मानों के रूप में देखा जाना चाहिए।
2. प्रमाणित सार्वजनिक सुरक्षा हित।



3. सार्वजनिक हित जिसमें सुसंगत या स्पष्ट मूल्यांकन उद्देश्य या मात्रात्मक उद्देश्य शामिल हैं।

4. संतुलन के लिए आपराधिक अपराध।

5. अज्ञात डेटा: जानकारी मान्यता प्राप्त या व्यक्तिगत के साथ इंटरफेस नहीं करती है फिर भी अस्पष्ट बनी हुई है।

6. लागत आदि के लिए प्रत्येक आधिकारिक स्पष्टीकरण।

निष्कर्ष:-

सुरक्षा और संरक्षण के अधिकार का विचार विविध है, सत्यापन योग्य और सामाजिक सेटिंग्स में स्थापित है, और वैध समझ को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। सुरक्षा केवल एक उपयोगिता नहीं है, बल्कि एक जटिल, प्राकृतिक बुनियादी स्वतंत्रता है जिसमें व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और स्वतंत्रता को बनाए रखना शामिल है। जबकि सुरक्षा का अर्थ बदल सकता है, यह एक अंतर्निहित अधिकार बना हुआ है जो बिना किसी बाधा के ठोस स्पष्टीकरण के सम्मान के योग्य है। समय की शुरुआत से ही, सुरक्षा पर वैध और दार्शनिक दृष्टिकोण विकसित हुए हैं। न्यायाधीश थॉमस कूली के "अकेले रहने के अधिकार" के विचार से लेकर आज के विश्वव्यापी सिस्टम तक, जिसमें बुनियादी स्वतंत्रता की सामान्य घोषणा और ओईसीडी नियमों जैसे शो शामिल हैं, सुरक्षा के अधिकार को सार्वभौमिक रूप से माना और सुरक्षित किया जाता है। भारत में, सुरक्षा की गहरी प्रामाणिक जड़ें हैं, जो विभिन्न पुरातन ग्रंथों और सख्त प्रथाओं से साबित होती हैं। देश का वैधानिक परिदृश्य सुरक्षा की रक्षा करने वाली कुछ व्यवस्थाओं के लिए इसे प्रतिबिंबित करता है, जैसे विवाह, पत्राचार

और व्यक्तिगत डेटा से जुड़े हुए। भारत में अंग्रेजी और अंग्रेजी के बाद के समय में विशिष्ट सुरक्षा संबंधी नियमों का उदय और आधिकारिक प्रणालियों का विकास हुआ। इसके बावजूद, एक स्पष्ट पवित्र विचार के रूप में सुरक्षा के अधिकार ने स्वतंत्रता के बाद उल्लेखनीय गुणवत्ता प्राप्त की। पुट्टा स्वामी मामले में भारतीय उच्च न्यायालय का मील का पत्थर प्रशासन, जिसने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा के अधिकार को एक प्रमुख अधिकार के रूप में घोषित किया, के महत्वपूर्ण परिणाम हैं। कुल मिलाकर, सुरक्षा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक गतिशील और मौलिक हिस्सा है, जो व्यक्तिगत डेटा से लेकर घर की पवित्रता तक जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है। यद्यपि यह विचार अभी भी प्रगतिशील है और मामले-विशिष्ट घटनाक्रमों के अधीन है, भारत की स्थापित प्रणाली में सुरक्षा को एक प्रमुख पहलू के रूप में स्वीकार किया जाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा में एक बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. अनुच्छेद 21: भारतीय संविधान में जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा की संहिता हार्डकवर – 1 जनवरी 2020 एस. शिवकुमार और जी. कामेश्वरी द्वारा, जेनेरिक प्रकाशन (जनवरी 2020)
2. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हार्डकवर डॉ. शिल्पा जैन (लेखक), सत्यम लॉ इंटरनेशनल प्रकाशन (जनवरी 2017)
3. भारत में गोपनीयता का अधिकार: अवधारणा और विकास पेपरबैक – रविंदर



- कुमार और गौरव द्वारा गोयल, लाइटनिंग सोर्स प्रकाशन (जनवरी 2016)
4. भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ में गोपनीयता और डेटा संरक्षण कानून जाविद अहमद डार, वॉलनट प्रकाशन (मार्च 2019)
5. गोपनीयता का अधिकार पेपरबैक -, कैरोलीन कैनेडी और एलेन एल्डरमैन द्वारा, विंटेज प्रकाशन (फरवरी 1997)
6. गोपनीयता और डेटा संरक्षण कानून, विलियम मैक गोवरन, फाउंडेशन द्वारा प्रेस प्रकाशन (जून 2016)
7. गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को समझना - आपको क्या जानना चाहिए, टिमोथी जे. टूही द्वारा, वेस्ट पब्लिशिंग कंपनी (फरवरी 2014)
8. मैथ्यूज जे. डिजिटल युग में गोपनीयता: संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का तुलनात्मक विश्लेषण। जे इंटेलेक्ट प्रॉप प्रिव. 2017;18(2):307-35.
9. भार्गव ए. भारत और यूरोपीय संघ में गोपनीयता कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन: जीडीपीआर प्रभाव। जे साइबर लॉ एथिक्स 2019;8(2):1-15.
10. कृष्णन एस. भारत में गोपनीयता का अधिकार: यूरोपीय संघ के साथ तुलनात्मक विश्लेषण। इंटर जे लॉ क्राइम जस्टिस 2018;52:76-92.
11. मिश्रा एसके. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में गोपनीयता के अधिकार का तुलनात्मक विश्लेषण। जे कॉन्स्टिट लॉ स्टडी 2019;3(1):42-62.
12. दास डी. प्रौद्योगिकी के युग में गोपनीयता: भारतीय और अमेरिकी कानूनी ढाँचों का तुलनात्मक अध्ययन। जे कम्यूनिटी मीडिया रिस. 2017;9(2):32-47.
13. पांडे एस. डिजिटल युग में गोपनीयता का अधिकार: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का तुलनात्मक अध्ययन। इंटर जे एडव लेग रिस. 2018;3(1):32-47.
14. डी पी. भारत और यूरोपीय संघ में डेटा सुरक्षा कानून: एक तुलनात्मक अध्ययन। जे इन्फ लॉ टेक्नोल. 2019;28(2):185-208.
15. शुक्ला एस. भारत में गोपनीयता न्यायशास्त्र: संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तुलनात्मक विश्लेषण। जे साइबरसिक्योरिटी 2017;1(2):143-62.
16. बिस्वास एस. भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ में गोपनीयता कानूनों का तुलनात्मक विश्लेषण। ग्लोब जे कॉम्प लॉ। 2020;9(1):23-40।
17. सिंह ए. मौलिक अधिकार के रूप में गोपनीयता: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तुलनात्मक अध्ययन। जे लीगल स्टडी। 2018;7(1):45-62।
18. जैन ए. भारत में डिजिटल गोपनीयता: संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तुलनात्मक अध्ययन। जे इंटरनेट लॉ। 2019;22(5):3-14।
19. कुमार आर. गोपनीयता का अधिकार: भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ का तुलनात्मक अध्ययन। जे लीगल इश्यू केस बस। 2018;6(2):67-84।
20. सक्सेना ए. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में गोपनीयता कानून: एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य। इंटर जे लॉ लीगल ज्यूरिसप्रूड स्टडी 2017;4(3):132-148.
21. दत्ता ए. गोपनीयता और डेटा सुरक्षा: भारत और यूरोपीय संघ का तुलनात्मक अध्ययन। जे इन्फ पॉलिसी 2019;9:54-75.
22. चटर्जी एस. भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ में डेटा सुरक्षा कानूनों का तुलनात्मक विश्लेषण। जे इन्फ प्रिव सिक्यूरिटी 2018;14(1):23-38.
23. गुप्ता एस. भारत में गोपनीयता का अधिकार: यूनाइटेड किंगडम के साथ तुलनात्मक अध्ययन। जे पब्लिक लॉ पॉलिसी 2017;38(4):421-438.
24. वर्मा आर. डेटा गोपनीयता कानून: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का तुलनात्मक विश्लेषण। जे लीगल टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट 2018;29(3):237-254